न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 03/2017

सरकार जरिये सुनील कुमार गर्ग खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामनारायण शर्मा पुत्र श्री मांगी लाल शर्मा (विक्रेता एवं मालिक)
मैसर्सः– बजरंग मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड, छापर बूज
तहसील जमवारामगढ, जयपुर।
निवासी जगमालपुरा, चावण्डिया, जयपुर (राज0)–303301।

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 08/11/2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री सुनील कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2016 को समय सांयकाल 3.30 बजे अपनी टीम के साथ मैसर्स बजरंग मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड, छापर बूज तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर पर पहुॅचे। वहां पर श्री रामनारायण शर्मा उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पूछने पर श्री रामनारायण शर्मा ने स्वयं को उक्त संस्थान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। श्री रामनारायण शर्मा से फर्म का वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञापत्र के बारे में पूछने पर विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञा पंजीकरण वर्ष 2016 नहीं होना बताया तथा अपनी फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की। उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर यहाँ आम जनता को विक्रय करने हेतु एक ट्रे में लगभग 5 किलो बेसन लड्डू (वनस्पति में तैयार) रखे हुए थे। इनमें गुणवत्ता में कमी/मिसब्राण्ड/सबस्टेण्डर्ड शक होने पर वास्ते नमूना जांच 2 किलो बेसन लड्डू (वनस्पति में तैयार) विक्रेता से खरीद कर उनकी कीमत 240/–रूपये का नकद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्रय किये गये बेसन लड्डू (वनस्पति में तैयार) अलग–अलग साफ सुखे खाली जार में बराबर डाला एवं प्रत्येक जार में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर जारों को ढक्कन बन्द कर चार नमूना भाग तैयार किये। इसके बाद चारो भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर कागज के सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया। चारो भागो पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा पूर्व में हस्ताक्षरित पेपर स्लिप नं0 ई–2802 चिपका कर चारों भागों अलग अलग धागे से बांधकर नियमानुसार अपनी ब्रास सील नं 58 से चार स्थानों पर सील चपडी किया, चारों भागों पर विक्रेता व गवाहान के

नियमानुसार हस्ताक्षर करवायें और स्वयं ने हस्ताक्षर करके नमूने के चारों भागों को अपने कब्जें में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर राज्य केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर (राजस्थान) को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के साथ आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम को जमा कराकर रसीदे प्राप्त कि है। नमूने का चौथे भाग को किसी अधिसूचित एनएबीएल प्रयोगशाला से जांच करवाने की कोई मंशा अप्रार्थी ने जाहिर नहीं की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक, जयपुर से नमूना संख्या ई–2802 की प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/3545/एक्ट/2016/1217 दिनांक 20.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ लड्डू (वनस्पति में तैयार) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। इस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम ने पत्र कमांक/एफएसएसए/17/180 दिनांक 28.02.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (वनस्पति में तैयार) सबस्टैण्डर्ड विक्रय/उत्पादन करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंधन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 26.10.2017 को अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (वनस्पति में तैयार) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)

अप्रार्थीगणों ने दौराने बहस नोटिस के संलग्न प्रेषित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को गलत बताया तथा निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। अप्रार्थीगण ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है परिवादी द्वारा अप्रार्थी को इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई कि उत्तरदाता चौथे भाग की किसी अधिसूचित एनएबीएल प्रयोगशाला से जांच करवा सकता है। अप्रार्थी बाजार से वनस्पति तेल व बेसन . क्रय कर उसके लड्डू बनाकर बेचता है व लड्डू बनने के बाद क्वालिटी को नापने के लिए अप्रार्थी के पास न तो कोई यंत्र है ना ही कोई विशेष प्रकार का पैमाना होता है। धारा 52 में प्रथम बार सबस्टैण्डर्ड आने पर सुधार हेतु चेतावनी देकर शास्ति से माफी का प्रावधान है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते * जयपुर *

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टैण्डर्ड का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगणों–अभियुक्तगणों पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 1,100/–(अक्षरे एक हजार एक सौ रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डा. मोहन लाल यादव)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर